

Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, अंधेशासी निदेशक, एन.एम.डी.सी., आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार, जगदलपुर को बस्तर वनमंडल अंतर्गत माचकोट परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई. पॉलीटेक्निक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं. 638 रकबा 8.100 कुल 9.800 हे राजस्व वन भूमि (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date : 23 -05-2023

Place : Raipur

Name

-

Designation

-



(Manoj Kumar Pingua)

Principal Secretary

Manoj Kumar Pingua
Deptt. of Forest & Climate Change

Principal Secretary,

C.G. Govt.,

Forest & Climate Change Department

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5-10/2023/10-2

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01/06/2023

प्रति,

वनमहानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ - 492015।

विषय :- Diversion of non-forest purpose under Forest Conservation Act 1980 Proposed for Construction of ITI, Polytechnic and other associated infrastructures in Village-Chokawada, Tehsil-Jagdalpur, District-Bastar under CSR Activities of NMDC Ltd, area 9.80 ha.- reg.

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-875/980, दिनांक 25.04.2023।

---00---

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :-

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर को पृष्ठ संख्या/टीप
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र - आवेदनकर्ता अधिशासी निदेशक, एन.एम.डी.सी., आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार, जगदलपुर का बस्तर वनमंडल अंतर्गत माचकोट परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी. आई. पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं. 638 रकबा 8.100 कुल 9.800 हे राजस्व वन भूमि (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) के गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्राप्त हुआ है।	1
2	प्रपत्र 1 में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) - अधिशासी निदेशक, एन.एम.डी.सी., आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार, जगदलपुर द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक - FP/CG/Others/28963/2017 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19.11.2020 के आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 19,000 रुपये कुल 35,000 रुपये जमा कराया गया है।	2
3	वन क्षेत्र का विवरण - प्रस्तावित परियोजना हेतु बस्तर वनमंडल अंतर्गत माचकोट परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई. पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं. 638 रकबा 8.100 कुल 9.800 हे राजस्व वन भूमि (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) वन भूमि प्रभावित हो रही है।	3 - 8
4	गैर वन क्षेत्र का विवरण - प्रस्तावित परियोजना हेतु खसरा नं. 639 रकबा 1.400 हे. गैर वन भूमि प्रस्तावित है। नक्शा एवं खसरा संलग्न है।	9 - 11

रजिस्ट्रार

क्रमशः 2

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50,000 स्केल पर— प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	12 – 13
6	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप – राजस्व वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप संलग्न है।	14 – 17
7	प्रपत्र-4 में प्रस्ताव – प्रपत्र-4 में बस्तर वनमंडल अंतर्गत माचकोट परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई. पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं. 638 रकबा 8.100 कुल 9.800 हे राजस्व वन भूमि (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रशासकीय लागत 28.91 करोड़ रु. बतायी गई है। वन भूमि का घनत्व 0.0 है।	18 – 24
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप – आवेदनकर्ता अधिशासी निदेशक, एन.एम.डी.सी., आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार, जगदलपुर का बस्तर वनमंडल अंतर्गत माचकोट परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई. पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं. 638 रकबा 8.100 कुल 9.800 हे राजस्व वन भूमि (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) के गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है। आई.टी.आई. पॉलीटेक्नीक से ग्रामीण बच्चों को प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास होगा, जो आई.टी.आई. पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु नितांत आवश्यक है।	25 – 26
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र – आवेदनकर्ता अधिशासी निदेशक, एन.एम.डी.सी., आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार, जगदलपुर द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु वन भूमि के दुगुने क्षेत्र पर शासन द्वारा समय-समय पर तय की गई दर के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राशि जमा करने हेतु वचनबद्ध रहेगा। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	27
10	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र – आवेदनकर्ता अधिशासी निदेशक, एन.एम.डी.सी., आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार, जगदलपुर का बस्तर वन मंडल अंतर्गत माचकोट परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई. पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं. 638 रकबा 8.100 कुल 9.800 हे राजस्व वन भूमि (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) के गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित राजस्व वन भूमि की मांग न्यूनतम है।	28
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र – प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित राजपत्र दिनांक 14.09.2006 की छायाप्रति संलग्न है।	29 – 33
12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) – आवेदित क्षेत्र वृक्ष विहीन है।	64
13	कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस – परियोजना 20.00 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनीफिट विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।	65 – 67
14	चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र – प्रस्तावित व्यपवर्तन प्रस्ताव में गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि प्रभावित नहीं होने से आवश्यकता नहीं है।	68

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा – प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्तावित नहीं होने से आवश्यक नहीं है।	69
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना – आवेदित राजस्व वन 9.800 हे. के एवज में कलचा नारंगी वन कक्ष क्रमांक 1142 रकबा 20.00 हे. नारंगी वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। 10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव में संलग्न है।	70 – 92
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र – वनमंडलाधिकारी, बस्तर वनमंडल के प्रतिवेदन अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य हेतु कलचा ना.व. कक्ष क्रमांक 1142 रकबा 24.863 हे. में से 20.00 हे. क्षेत्र चयनित किया गया है। उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया चयनित क्षेत्र का घनत्व 0.0 है। खुला वन है तथा रिक्त क्षेत्र उपलब्ध है। चयनित क्षेत्र क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है।	93 – 95
18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण – वनमंडलाधिकारी, बस्तर वनमंडल के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	96
19	अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण – वनमंडलाधिकारी, बस्तर वनमंडल के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	97
20	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही – वनमंडलाधिकारी, बस्तर वनमंडल के प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने के कारण किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।	98
21	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र – प्रस्ताव हेतु बस्तर वनमंडल के चित्रकोट परिक्षेत्र अंतर्गत रायकोट (अ) स.व. कक्ष क्रमांक 859 (पुराना 1838) कुल रकबा 240.714 हे. में से 19.600 हे. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर राजस्व वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	99 – 100
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान – प्रस्ताव सिंचाई से संबंधित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं है।	101
23	रिक्लेमेशन प्लान – प्रस्ताव खनन से संबंधित नहीं होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	102
24	माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) – प्रस्ताव खनन से संबंधित नहीं होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।	103
25	व्यवस्थापन प्लान – प्रस्तावित परियोजना हेतु व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	104
26	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) – प्रपत्र-3 पर वनमंडलाधिकारी, बस्तर वनमंडल द्वारा दिनांक 24.02.2023 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वनमंडलाधिकारी, बस्तर वनमंडल के अनुशंसा के आधार पर भाग-3 में मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर वृत्त द्वारा दिनांक 10.04.2023 से व्यपवर्तन प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।	105 – 113
27	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के इमारत/स्मारक या भवन अथवा अन्य कोई निर्माण नहीं है।	114 – 116

Rajul

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/दीप
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार, जगदलपुर द्वारा बस्तर वनमंडल के अंतर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी. आई. पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	117 – 124
29	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) – बस्तर जिले की कुल वन भूमि 2211.807 वर्ग कि.मी. है।	125
30	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में – बस्तर जिले अंतर्गत इस श्रेणी के 20 प्रकरण रकबा 867.156 हे. स्वीकृति की गई है।	126 – 127
31	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में – बस्तर वनमंडल अंतर्गत इस श्रेणी के एक भी प्रकरण में वन भूमि व्यपवर्तित नहीं की गई है।	128
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी – प्रस्तावित परियोजना हेतु 10 कि.मी. की परिधि में कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है न ही अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है।	129
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन – खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।	130
34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र – आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर बस्तर द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र 20.03.2018 को जारी किया गया है।	131 – 133
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र – प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि के संबंध में कलेक्टर, जिला बस्तर का दिनांक 24.08.2017 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	134 – 135
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र – माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का आवेदक संस्थान द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	136 – 137
37	Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance – प्रभावित भूमि के बदले आवेदक संस्थान से प्राप्त राशि को कैम्पा खाते में जमा करने हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	138
38	A detailed note on Soil Productivity or the lack of it – वनमंडलाधिकारी बस्तर वनमंडल एवं आवेदक संस्थान के संयुक्त प्रतिवेदन अनुसार भूमि की दशा प्राकृतिक (GEO-ECOLOGICAL) कारणों से है।	139
39	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र – वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	140
40	Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।	141
41	पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण – चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांक –2 पर विवरण दिया गया है।	142

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर को पृष्ठ संख्या/टीप
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत — वनमंडलाधिकारी, बस्तर वनमंडल के प्रतिवेदन अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।	143
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण — लागू नहीं।	144
44	प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण — प्रस्ताव में अन्य कमियों का विवरण निरंक है।	145 — 150

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र-4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र-5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्न: — प्रस्ताव 1 प्रति में।

Rajpal
1.6.23
(के.पी.राजपूत)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01/06/2023

पृ.क्रमांक एफ 5-10/2023/10-2

प्रतिलिपि:—

- 1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़।
 - 2.मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
 - 3.वनमंडलाधिकारी, बस्तर वनमंडल, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
 - 4.अधिशाली निदेशक, एन.एम.डी.सी., आयसन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

Rajpal
अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

etc